न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी — रामरख मीना आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 3/2018 — दायर दिनांक 24.9.2018

1. भींवसिह पुत्र केशुसिह जाति राजपूत निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

अपीलान्ट ---

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ
2. सरपंच ग्राम पंचायत, लखासर, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ

रेस्पोन्डेट ---

3. गुलाब कंवर पत्नी स्व. भींवसिह 4. जयपालसिह 5. रविन्द्रसिह 6. धापूकंवर 7. संजूकंवर 8. सुरज्ञानकंवर 9. सुशीलकंवर 10. हुकमकंवर

गौण रेस्पोन्डेट---

बाबत अपील नामांतरकरण
अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट
उपस्थितिः–

1. **श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता अपीलान्ट।**
2. **श्री राजूराम बाना अधिवक्ता गौण रेस्पोन्डेट।**

निर्णय दिनांक 14.01.2019

आज यह पत्रावाली पेश हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ग्राम लखासर का मूल निवासी हैं अपीलान्ट का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 801/403 तादादी 5.63 हैक्टयर रोही लखासर में स्थिति है। अपीलान्ट ने जमांबदी की आवश्यकता होने पर अपीलान्ट सम्वत 2072–75 की जमांबदी कम्प्यूटर से निकलवाई जो अपीलान्ट को ज्ञात हुआ कि उसकी जमांबदी में रेस्पोडेट संख्या 3 ता 10 का नाम दर्ज है। जिस पर अपीलान्ट पटवारी से सम्पर्क किया। पटवारी से जमांबदी सम्वत 2075 प्राप्त की जिसमें अपीलान्ट का नाम दर्ज है। पटवारी ने दस्तावेजतो को जांच करके बताया कि आपके खाते की भूमि में रेस्पोन्डेट संख्या 3 का नाम दर्ज है। रेस्पोन्डेट संख्या 3 ता 10 का नाम उनके पिता भींवसिह पुत्र केशुसिह की मृत्यु के बाद विरासतन दर्ज हुआ है। अपीलान्ट ने इस संबंध में हल्का पटवारी को बताया कि मैं तो जीवित हूँ। और न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 10 मेरे वारिसान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 10 का नाम गलत दर्ज हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 10 का नाम दर्ज होने बाबत बताया कि आपके गांव के आप ही के नाम के भींवसिह पुत्र केशुसिह की मृत्यु हो चुकी है। जिनका नया खाता संख्या 193 पुराना खाता संख्या 171 है। दूसरे भींवसिह पुत्र केशुसिह के विरासतन इन्तकाल दर्ज होना था जो भूलवशं आपकी खातेदारी में दर्ज हो गया है। इन्तकाल संख्या 645 दिनांक 20.06.2018 के गलत होने की बताया तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कहा कि हम कुछ नही कर सकते है। आप सक्षम न्यायालय में अपील पेश करे। इन्तकाल संख्या 645 दिनांक 20.06.2018 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.09.2018 को हुई जानकारी होते ही अपीलान्ट माननीय न्यायालय के समक्ष अन्दर मियाद अपनी अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया की सरपंच ग्राम पंचायत लखासर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 645 दिनांक 20.06.2018 को खारिज करने के आदेश प्रदान करे।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेटान संख्या 3 ता 10 की और से श्री राजूराम बाना अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोन्डेटान 3 ता 10 की और से जबाब पेश कर निवेदन किया की अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पोन्डेटान को कोई आपत्ति नही हैं स्टेट की और से राजपेरोकार उपस्थित ।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकिल अपीलान्ट ने कथन है खेत खसरा नम्बर 801/403 तादादी 5.63 हैक्टयर भूमि अपीलान्ट की खातेदारी है। रेस्पोन्डेटान के खाता संख्या पुराना 193 नया खता संख्या 171 खसरा नम्बर 136 तादादी 8.33 हैक्टयर खसरा नम्बर 34 तादादी 5.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 419 तादादी 5.661 हैक्टयर, खसरा नम्बर 583 तादादी 7.59 हैक्टयर, खसरा नम्बर 584 तादादी 4.81 हैक्टयर में 1/7 हिस्सा का नामान्तरकरण दर्ज होना था। परन्तु अपीलान्ट के खसरा नम्बर 801/403 में नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो न्यायसंगत नही है। अतः अपीलन्ट की अपील स्वीकार कि जानी न्यायोचित प्रतीत होती है।

उपर्युक्त परिपेक्ष में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्रम पंचायत लखासर के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 645 दिनांक 20.06.2018 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ को आदेश दिये जाते है। पक्षकारों की जांच कर पुनः सुनवाई कर नामान्तरकरण तस्दीक करे। अधिकृत सीमा से कम किया जाकर। बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय खुले दिनांक 14.01.2019 को सुनाया गया।

(रामरख मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Scanned by CamScanner